रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012025-260294
CG-DL-E-17012025-260294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2025/पौष 25, 1946
No. 286] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2025/PAUSHA 25, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2025

का.आ. 288(अ).—केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पानपाथा वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ. संख्या 4027(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी ;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है ;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकती है ;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4027(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2016 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड

(ii) में, संख्या का.आ. 4027(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, क्रमश:, मानीटरी समिति और निर्देश शर्तें से संबंधित पैरा 5 और पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरे रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"**5. मानीटरी समिति--**(1) केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी करने के लिए, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी एक समिति का गठन करती है, अर्थात् :--

	(i)	संभागीय आयुक्त, शहडोल	अध्यक्ष, पदेन ;
	(ii)	संभागीय आयुक्त, जबलपुर	सदस्य, पदेन ;
	(iii)	जिला कलेक्टर, उमरिया	सदस्य, पदेन ;
	(iv)	जिला कलेक्टर, शहडोल	सदस्य, पदेन ;
	(v)	जिला कलेक्टर, कटनी	सदस्य, पदेन ;
	(vi)	अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग, शहडोल	सदस्य, पदेन ;
	(vii)	अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य विभाग, शहडोल	सदस्य, पदेन ;
	(viii)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया	सदस्य, पदेन ;
	(ix)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल	सदस्य, पदेन ;
	(x)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी	सदस्य, पदेन;
	(xi)	नगर और ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
	(xii)	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
	(xiii)	पर्यावरण के क्षेत्र (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य ;
	(xiv)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य ;
	(xv)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य, पदेन ;
	(xvi)	क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया	सदस्य-सचिव, पदेन ।

मानीटरी समिति के कार्य—(2) मानीटरी समिति, वास्तविक स्थलीय-विनिर्दिष्ट दशाओं के आधार पर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1553(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में आने वाले क्रियाकलापों की, और जो पारिस्थितिक-संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, ऐसे प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, जो उस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट है, संवीक्षा करेगी, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा-पत्र के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगी ।

(3) ऐसे क्रियाकलापों की, जो उपपैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में नहीं आते हैं, और जो पारिस्थितिक-संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, ऐसी प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय, जो उस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट है, वास्तविक स्थलीय-विनिर्दिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

IndiaCode

(5) मानीटरी समिति, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, समिति को उसके विचार-विमर्श में सहायता के लिए, विभाग से किसी प्रतिनिधि या किसी विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों के किसी प्रतिनिधि या पणधारियों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियालापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, इस अधिसूचना के साथ संलग्न **उपाबंध- IV** में विनिर्दिष्ट प्ररूप में, उस वर्ष की 30 जून तक, मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी ।

(7) केंद्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे ।

[फा. सं. 25/178/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का. आ. 4027(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2025

S.O. 288(E).—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Bandhavgarh Wildlife Sanctuary and Panpatha Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.4027 (E), dated the 14th December, 2016;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 4027 (E), dated the 14th December, 2016;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4027 (E), dated the 14th December, 2016, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6 relating to monitoring committee and terms of reference respectively, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. Monitoring Committee. - The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(i)	Divisional Commissioner, Shahdol	Chairman, ex officio;
(ii)	Divisional Commissioner, Jabalpur	Member, ex officio;
(iii)	District Collector, Umaria	Member, ex officio;

(iv)	District Collector, Shahdol	Member, ex officio;
(v)	District Collector, Katni	Member, ex officio;
(vi)	Superintending Engineer PWD, Shahdol	Member, ex officio;
(vii)	Superintending Engineer Public Health Department, Shahdol	Member, ex officio;
(viii)	Chief Executive Officer of District Panchayat, Umaria	Member, ex officio;
(ix)	Chief Executive Officer of District Panchayat, Shahdol	Member, ex officio;
(x)	Chief Executive Officer of District Panchayat, Katni	Member, ex officio;
(xi)	Representative of the Town & Country Planning Department	Member, ex officio;
(xii)	Representative of the Madhya Pradesh Pollution Control Board	Member, ex officio;
(xiii)	One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Madhya Pradesh after every three years.	Member;
(xiv)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh after every three years.	Member;
(xv)	Member of State Biodiversity Board	Member, ex officio;
(xvi)	Field Director, Bandhavgarh Tiger Reserve, Umaria	Member Secretary, ex officio;

6. Functions of the Monitoring Committee. – (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro-forma specified in **Annexure-IV**.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions."

[F. No. 25/178/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 4027(E), dated the 14th December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.01.17 21:34:11 +05'30'